

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007
दूरभाष : 0771 - 4902939, 4902940
Email:cgpurc18@gmail.com, Website:www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेरखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019

- टैब:- (1) स्तरीय छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के कानूनी स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का नियन्त्रण एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन



मधु मिल्टन चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर,
गढ़वाल 492007 (छ.ग.)
टेलीफोन नं. : 0771-2446018, 4902940
ई-मेल : cgpurc18@gmail.com
वेबसाइट : www.cgpurc.in

क्रमांक : 426 / एएआरसी / 166 / ए / 2005 / 10696

राष्ट्रपति, दिनांक 06 / 09 / 2019

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सचिव शिक्षा विभाग,
संशालन, नहानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

—0—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है।”

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 03.09.2019 को विचार कर अनुमोदित किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2018-2019

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

1. विनियामक आयोग - पदाधिकारी एवं अधिकारी :-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरणों के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कार्यक्रमों में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्त सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत् है। आयोग में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी है :—

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| (1) डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला | — | अध्यक्ष |
| (2) डॉ. शिव वरण शुक्ल | — | सदस्य (अकादमिक) |
| (3) श्रीमती रेणु देशमुख | — | सदस्य (प्रशासनिक) |
| (4) श्री कौ.कौ. चन्द्राकर | — | सचिव |

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-

- (1) डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला ने छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 01 / 04 / 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है।
- (2) डॉ. शिव वरण शुक्ल ने छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (अकादमिक) पद पर दिनांक 06 / 10 / 2018 को कार्यभार ग्रहण किया है।
- (3) श्रीमती रेणु देशमुख ने छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (प्रशासनिक) पद पर दिनांक 01 / 12 / 2018 को कार्यभार ग्रहण किया है।
- (4) डॉ. एस.आर. गुप्ता, छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंशकालिक सदस्य का कार्यकाल दिनांक 01 / 01 / 2019 को समाप्त हो गया है। इसी दिनांक से यह पद रिक्त है।

- (5) डॉ. स्मृति बाजपेयी, छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंशकालिक सदस्य का कार्यकाल दिनांक 04 / 01 / 2019 को समाप्त हो गया है। इसी दिनांक से यह पद रिक्त है।
- (6) डॉ. बी.डी. थदलानी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव पद पर दिनांक 10 / 01 / 2018 को कार्यभार ग्रहण किया तथा दिनांक 06.03.2019 को इनकी प्रतिनियुक्ति राज्य शासन द्वारा समाप्त करने के पश्चात् कार्यमुक्त किया गया है।
- (7) श्री के.के. चन्द्राकर को राज्य शासन द्वारा आयोग में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति की गयी है तथा श्री के.के. चन्द्राकर ने छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में सचिव पद पर दिनांक 06 / 03 / 2019 को अपराह्न में कार्यभार ग्रहण किया है।

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कर्तव्य :-

- (1) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिए मानक स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें।
- (2) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सके।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हो।
- (4) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है।
- (5) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिए गलत तरीके न अपनाए जाय।
- (6) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेंगे, ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो विद्यार्थियों के लिए किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं / सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।
- (7) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना।

4. विनियामक आयोग की बैठकें :-

वर्ष 2018–2019 में विनियामक आयोग की 07 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

संख्या	बैठक क्रमांक	बैठक दिनांक
1.	99 / 2018	10 / 05 / 2018
2.	100 / 2018	13 / 06 / 2018
3.	101 / 2018	29 / 06 / 2018
4.	102 / 2018	28 / 08 / 2018
5.	103 / 2018	06 / 10 / 2018
6.	104 / 2019	07 / 02 / 2019
7.	105 / 2019	11 / 03 / 2019

5. डब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक 1326/2016 कलिंगा विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 03 अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-4/2013/38-2 दिनांक 26.03.2018 पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रस्ताव के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 3-4/2013 / 38-2 दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

कलिंगा विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 03 अन्य प्रकरण पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 15.01.2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अनुषांगिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त अनुषांगिक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने कलिंगा विश्वविद्यालय के उक्त प्रकरण पर एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर रखा है, जिसे राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु लिखा गया। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-4/2013 / 38-2 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा निर्देशित किया गया कि छ.ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अध्याय-चार की धारा 36(8) में विनियामक आयोग के सामान्य कर्तव्यों का उल्लेख है, साथ ही “निजी विश्वविद्यालयों के अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के लिए मानक स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझे,”

उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 36(8) में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही करें।

उक्त प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने विचार विमर्श किया तथा आदेश के प्रारूप का अनुमोदन किया एवं आदेश जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

06. आयोग कार्यालय में विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की ब्याज राशि को संलग्नक-1 के अनुसार भुगतान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। आयोग कार्यालय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा विन्यास निधि की राशि जमा की गयी है। प्रायोजक निकाय द्वारा जमा राशि पर विचार-विमर्श किया गया तथा उक्त संलग्नक-1 के अनुसार ब्याज राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती कर ब्याज राशि को (दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय डॉ. सी.ड्वी. रमन विश्वविद्यालय एवं मैट्स विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष विश्वविद्यालय की ब्याज राशि को विमुक्त करने का निर्णय सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।

7. प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, श्रद्धा हाउस-345, किंग्सवे नागपुर - 44001 द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 100 / 2018 दिनांक 13.06.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, श्रद्धा हाउस-345, किंग्सवे नागपुर (प्रस्तावित जी.एच.रायसोनी यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 14.05.2018 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गयी जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गयी है। अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, श्रद्धा हाउस-345, किंग्सवे नागपुर को प्रस्तावित जी.एच.रायसोनी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाय।

उक्त प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने विचार विमर्श किया तथा आदेश के प्रारूप का अनुमोदन किया एवं आदेश जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

06. आयोग कार्यालय में विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की ब्याज राशि को संलग्नक-1 के अनुसार भुगतान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। आयोग कार्यालय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा विन्यास निधि की राशि जमा की गयी है। प्रायोजक निकाय द्वारा जमा राशि पर विचार-विमर्श किया गया तथा उक्त संलग्नक-1 के अनुसार ब्याज राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती कर ब्याज राशि को (दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय डॉ. सी.ही. रमन विश्वविद्यालय एवं मैट्स विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष विश्वविद्यालय की ब्याज राशि को विमुक्त करने का निर्णय सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।

7. प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, श्रद्धा हाउस-345, किंग्सवे नागपुर - 44001 द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 100 / 2018 दिनांक 13.06.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, श्रद्धा हाउस-345, किंग्सवे नागपुर (प्रस्तावित जी.एच.रायसोनी यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 14.05.2018 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

"परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गयी जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गयी है। अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।"

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, श्रद्धा हाउस-345, किंग्सवे नागपुर को प्रस्तावित जी.एच.रायसोनी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाय।

08. प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की स्थापना एवं निगमन के संबंध में विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 101 / 2018 दिनांक 29.06.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है।

बैठक में प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम—सांकरा, कुम्हारी, जिला—दुर्ग के संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, कार्यालय तहसीलदार दुर्ग से प्राप्त भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय द्वारा दी गयी जानकारी के साथ—साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदानुसार सर्व—सम्मति से जो निर्णय लिया गया वह निम्नानुसार :—

1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय के स्वामित्व में 25 एकड़ भूमि है। जिसका सत्यापन कार्यालय तहसीलदार, दुर्ग द्वारा किया जा चुका है।
2. विन्यास निधि की राशि के रूप में 50 लाख आयोग के पास जमा है।
3. प्रशासनिक भवन, आकादमिक भवन, का निर्माण कार्य किया गया है। जिसका कुल निर्माण 82362.00 वर्गफीट है। जिसका सत्यापन आयोग के निरीक्षण दल द्वारा किया जा चुका है।

प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन में कुल 53 कक्ष है जिसमें कुलपति कक्ष, कुलसचिव कक्ष, मीटिंग हॉल, कॉफ्रेंस हॉल, प्रयोगशाला हैं। पांच कक्षों में छात्रों की बैठक व्यवस्था हेतु 200 फर्नीचर उपलब्ध है। कॉफ्रेंस हॉल में 400 सीट की व्यवस्था है। प्रत्येक खण्ड में छात्र—छात्राओं के लिए पृथक—पृथक टॉयलेट की व्यवस्था है। कम्प्यूटर लैब में 24 नग कम्प्यूटर की व्यवस्था है।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर द्वारा पत्र क्र. एफ 3-1 / 2013 / 38-2 दिनांक 16.04.2018 के माध्यम से प्रायोजक निकाय श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, युगतीर्थ, शांति कुंज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सांकरा (कुम्हारी) जिला—दुर्ग के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 की धारा 7(3) में आवेदन अनुसार छूट प्रदान की गयी है धारा 11(1) के संबंध में संस्था द्वारा राशि रु. 50 लाख जमा करने पर शेष राशि के लिए छूट प्रदान की गई है प्रायोजक निकाय द्वारा राशि रु. 50 लाख आयोग के खाते में जमा की गई है।

4. आवश्यक परिवर्चन (Undertaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम—2005 में दी गयी शर्तों को पूरा करता है। अतः माननीय सदस्यों द्वारा सर्व—सम्मति से प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम—सांकरा, कुम्हारी, जिला—दुर्ग की स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा की गई है तथा प्रकरण को राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

09. ओ.पी.जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 26(5) एवं 28(4) के उल्लंघन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 15-3/2016/38-2 दिनांक 08.02.2018 पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 101 / 2018 दिनांक 29.06.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रस्ताव के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 15-3/2016/38-2 दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिये गये :—

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 की धारा 26(5) एवं 28(4) के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 14.09.2017 को लिए गए निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अनुषांगिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त अनुषांगिक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने ओ.पी. जिंदल, रायगढ़ विश्वविद्यालय के उक्त प्रकरण पर एक अधिसूचना का प्रारूप रखा गया है, जिसे राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु लिखा गया है।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्देशित किया गया कि छ.ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अध्याय-चार की कंडिका 36(8) (क) (ख) (ग) (घ) (ड.) (च) (छ) में विनियामक आयोग के कर्तव्यों में कार्य-विधि/योजना का उल्लेख है, साथ ही विनियामक आयोग विभागीय पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने विचार विमर्श किया तथा आदेश के प्रारूप का अनुमोदन किया एवं आदेश जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

10. ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर जिंदल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट रखने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 को विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर जिंदल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट रखने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव को राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाय।

09. ओ.पी.जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 26(5) एवं 28(4) के उल्लंघन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 15-3/2016/38-2 दिनांक 08.02.2018 पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 101 / 2018 दिनांक 29.06.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रस्ताव के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 15-3/2016/38-2 दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिये गये :—

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 की धारा 26(5) एवं 28(4) के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 14.09.2017 को लिए गए निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अनुषांगिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त अनुषांगिक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने ओ.पी. जिंदल, रायगढ़ विश्वविद्यालय के उक्त प्रकरण पर एक अधिसूचना का प्रारूप रखा गया है, जिसे राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु लिखा गया है।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्देशित किया गया कि छ.ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अध्याय-चार की कंडिका 36(8) (क) (ख) (ग) (घ) (ड.) (च) (छ) में विनियामक आयोग के कर्तव्यों में कार्य-विधि/योजना का उल्लेख है, साथ ही विनियामक आयोग विभागीय पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने विचार विमर्श किया तथा आदेश के प्रारूप का अनुमोदन किया एवं आदेश जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

10. ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर जिंदल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट रखने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 को विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर जिंदल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट रखने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव को राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाय।

11. डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं मैट्रस विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की ब्याज राशि की मांग की गई है। इनकी ब्याज राशि का भुगतान करने पर विचार एवं निर्णय :-
 प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10 मई 2018 के विषय क्रमांक 10 में डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय एवं मैट्रस विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जानकारी आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने तक ब्याज राशि को रोककर रखने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान में डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय एवं मैट्रस विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को वांछित जानकारी लगभग उपलब्ध करा दी गयी है। अतः सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रकरण पर विचार विमर्श किया तथा यह निर्णय लिया कि डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय एवं मैट्रस विश्वविद्यालय की जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की देय ब्याज राशि का नियमानुसार आयकर की कटौती करते हुए भुगतान कर दिया जाय।

12. आयोग कार्यालय हेतु नया रायपुर में आबंटित बिल्टप स्पेस का भुगतान रु. 1,01,72,007/- अटल नगर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नया रायपुर को किया गया है। इसकी पुष्टि के संबंध में :-

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया हैं प्रकरण के संबंध में आयोग कार्यालय हेतु नया रायपुर में आबंटित बिल्टप स्पेस का भुगतान रु. 1,01,72,007/- दिनांक 07.01.2019 चेक क्रमांक 33215969 के माध्यम से अटल नगर नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नया रायपुर को किया गया है। इसकी पुष्टि सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की गयी है।

13. अध्यादेशों का अनुमोदन :-

- (1) ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित परिनियम क्रमांक 02 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित परिनियम क्रमांक 02 को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित परिनियम क्रमांक 02 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी सदस्यों ने ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम क्रमांक 02 को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

- (2) ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 23 से 27 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय ।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 23 से 27 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया ।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 23 से 27 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 23 से 27 को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय ।

- (3) आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित परिनियम एवं अध्यादेश तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 54 से 58 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय ।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित परिनियम एवं अध्यादेश तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 54 से 58 को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया । आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित परिनियम एवं अध्यादेश तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 54 से 58 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम एवं अध्यादेश तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 54 से 58 को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय ।

- (4) कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 84 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय ।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 84 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 99 / 2018 दिनांक 10.05.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया ।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 84 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात् सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि अब तक स्वीकृत सभी अध्यादेशों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाय तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 84 को आयोग की आगामी बैठक में रखा जाय ।

(5) मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 20 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 127 से 131 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 20 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 127 से 131 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया।

विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 20 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 127 से 131 को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

(6) श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 54 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 54 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 102 / 2018 दिनांक 28. 08.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 54 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। विचार-विमर्श करते समय डॉ. एस.आर. गुप्ता अंशकालिक सदस्य ने प्रस्ताव को राज्य शासन को अग्रेषित करने पर असहमति व्यक्त की तथा डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला अध्यक्ष, डॉ. शिंवरण शुक्ल सदस्य (अकादमिक) एवं श्रीमती रेणु देशमुख सदस्य (प्रशासनिक) आयोग के तीन सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तक तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 54 तक को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए राज्य शासन को भेजा जाय।

(7) एएफटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 80 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

एएफटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 80 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 103 / 2018 दिनांक 06.10.2018 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है।

एएफटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 80 तक पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 80 तक को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया गया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

- (8) ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, जिला-रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03 एवं 06 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय ।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, जिला-रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03 एवं 06 को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है ।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, जिला-रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03 एवं 06 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03 एवं 06 को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय ।

- (9) देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा जिला-दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय ।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा जिला-दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है ।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा जिला-दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 तक पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 तक को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय ।

- (10) महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नालॉजी, मंगला जिला बिलासपुर, द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय ।

महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नालॉजी, मंगला जिला-बिलासपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है ।

महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नालॉजी, मंगला जिला-बिलासपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 तक पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया ।

विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम

क्रमांक 01 से 29 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 82 तक को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

(11) के.के. मोदी यूनिवर्सिटी, ग्राम-महमरा, जलबांधा रोड जिला-दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 55 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

के.के. मोदी यूनिवर्सिटी, ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड जिला—दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 55 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 104 / 2019 दिनांक 07.02.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है।

के.के. मोदी यूनिवर्सिटी, ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड जिला—दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 55 तक पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया।

विचार—विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 55 तक को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

(12) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जिला-दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 35 से 39 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 07 से 15 एवं 31 से 33 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जिला—दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 35 से 39 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 07 से 15 एवं 31 से 33 को आयोग की बैठक क्रमांक 105 / 2019 दिनांक 11.03.2019 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जिला—दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 35 से 39 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 07 से 15 एवं 31 से 33 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। विचार—विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 35 से 39 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 07 से 15 एवं 31 से 33 को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

14. राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण :-

- (1) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 1,22,19,899/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

- (2) मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 38,52,939/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (3) कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 53,51,251/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (4) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 75,459=73/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (5) आई.टी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 8,07,278/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (6) ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 25,40,822/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (7) आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 85,785=50/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

15. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

16. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में -

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित 13 निजी विश्वविद्यालयों में संचालित 07 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण समय-समय पर आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

17. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का विवरण :-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में 13 निजी विश्वविद्यालय स्थापित तथा संचालित है। इनका विवरण निम्नानुसार है :-

सं. क्रं.	निजी विश्वविद्यालयों के नाम	निजी विश्वविद्यालयों का पता	स्थापना वर्ष
1.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय	करगी रोड कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम-गुल्लु, तह.-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम-कोटनी, पलौद, तह.-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
4.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	ग्राम-चोरहा, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
5.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम-उपरवारा, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 फरवरी, 2012
6.	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम-माठ, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
7.	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तह.-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
8.	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम-छुरा, तह.-छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 सितम्बर, 2016
9.	एएफओ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018.
10.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	शदानी दरबार के पास, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी	ग्राम—मंगला, तहसील एवं जिला—बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
12.	के.के. मोदी यूनिवर्सिटी	ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018
13.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	ग्राम—सांकरा, कुम्हारी, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018

18. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में अन्य जानकारी :-

1. डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

1	विश्वविद्यालय का वेबसाईट / ई—मेल आईडी / दूरभाष	www.cvru.ac.in info@cvru.ac.in 07753-253801 07753-253728(Fax)
2	नैक द्वारा प्राप्त दर्जा	B+
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	3 नवम्बर, 2006
4	कुल भूमि	53 एकड़
5	विश्वविद्यालय के कुल निर्माण वर्गफुट में	6,25,843 वर्गफुट
6	सत्र 2018—19 में कुल प्रवेशित छात्र / छात्राएँ	5399

2. मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम—गुल्लू, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)

1	विश्वविद्यालय का वेबसाईट / ई—मेल आईडी / दूरभाष	www.matsuniversity.ac.in info@matsuniversity.ac.in 0771-4078995,96,98 0771-4078997(Fax)
2	नैक द्वारा प्राप्त दर्जा	B++
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	3 नवम्बर, 2006
4	कुल भूमि	39 एकड़
5	विश्वविद्यालय के कुल निर्माण वर्गफुट में	4,12,400 वर्गफुट
6	सत्र 2018—19 में कुल प्रवेशित छात्र / छात्राएँ	5724

3. कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी, पलौद तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

1	विश्वविद्यालय का वेबसाईट / ई-मेल आईडी / दूरभाष	www.kalingauniversity.ac.in kalingauniversity1@gmail.com 9303097043
2	नैक द्वारा प्राप्त दर्जा	निरंक
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	25 मार्च, 2011
4	कुल भूमि	30 एकड़
5	विश्वविद्यालय के कुल निर्माण वर्गफुट में	3,50,000 वर्गफुट
6	सत्र 2018-19 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएँ	5395

4. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, ग्राम-चोरहा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

1	विश्वविद्यालय का वेबसाईट / ई-मेल आईडी / दूरभाष	www.iuraipur.edu.in registrar@iuratiopur.edu.in 7898989101
2	नैक द्वारा प्राप्त दर्जा	निरंक
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	25 मार्च, 2011
4	कुल भूमि	30.43 एकड़
5	विश्वविद्यालय के कुल निर्माण वर्गफुट में	1,00,347 वर्गफुट
6	सत्र 2018-19 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएँ	190

5. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

1	विश्वविद्यालय का वेबसाईट / ई-मेल आईडी / दूरभाष	www.itmuniversity.org dyregistrar@itmuniversity.org 0771-6640418
2	नैक द्वारा प्राप्त दर्जा	निरंक
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	22 जून, 2012
4	कुल भूमि	25.3 एकड़
5	विश्वविद्यालय के कुल निर्माण वर्गफुट में	1,99,627 वर्गफुट
6	सत्र 2018-19 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएँ	1416

नवीन निजी विश्वविद्यालय

क्रं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1	के.के.मोदी विश्वविद्यालय, ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)	2018
2	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम—सांकरा, कुम्हरी, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2018
3	एएफआई यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स, ग्राम—माठ, तहसील—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	2018
4	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, ग्राम—धनेली, पो.—माना धमतरी रोड, तहसील एवं जिला—रायपुर (छ.ग.)	2018
5	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नालोजी, ग्राम—मंगला, तहसील एवं जिला—बिलासपुर (छ.ग.)	2018

19. न्यायालयीन प्रकरण :-

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों/स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2018–19 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :—


न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति


रिट पिटिशन/ कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 8979 / 2012 (एस)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बैच, ग्वालियर	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 13042 / 2018	सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैच, 61 / 35, कॉपरनिक्स मार्ग नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2971 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	राजकिशोर वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2960 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	करुनदास मानिकपुरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

रिट पिटिशन (सी) नं. 2976 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्रवण कुमार हलवाई विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2997 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	किशोर कुमार पण्डा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2593 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	सोनिया पटेल विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 3153 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 3141 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

20. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में -

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।


(के.के. चन्द्राकर)
सचिव


(श्रीमती रेणु देशमुख)
सदस्य (प्रशासनिक)


(डॉ. शिववरण शुक्ला)
सदस्य (अकादमिक)


(डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष

Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183
E-mail: deepakbda@gmail.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members
Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG) as at 31st March 2019 and the Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.



(f) Our audit observations are as under:

- i). As per clause 9(b) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005. AYOG has to deposit the fees within 15 days of receipt from the Universities to the Government but we noticed following instances where amount has been deposited with delay.

S.NO	NAME OF UNIVERSITY	DATE OF RECEIPT	DUUE DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS	AMOUNT
1	Kalinga University	06.04.18	21.04.18	24.04.18	3	5,59,809
2	Kalinga University	06.04.18	21.04.18	24.04.18	3	12,346
3	ICFAI University	06.04.18	21.04.18	24.04.18	3	2,317
4	ICFAI University	17.05.18	01.06.18	02.06.18	1	805
Total						5,75,277

NOTE : Further it has been observed that there is a time lag between cheque date and due date of receipt of cheque. It is suggested to collect the cheque at the time of preparation or to go for online facility such as NEFT, RTGS etc.

- ii). As per section 12(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Rules 2005, University has to deposit an amount of 1% of fees received from their students within 15 days of following month with AYOG however we observed that this stipulation is not regularly followed by Universities. Following are some of the instances:-

S.No.	Particulars	Fees for the Month	Fees due to be received	Fees actually received	Amount
1.	ITM University	June-2018 to September-2018	By the 15 th of the following month.	November-2018	2,75,427
2.	Dr C.V. Raman University	April-2016 to March-2017	By the 15 th of the following month.	April-2018	7,69,387
3.	Dr C.V. Raman University	April-2017 to March-2018	By the 15 th of the following month.	April-2018	9,82,964
4.	O.P. Jindal University	March-2018	By the 15 th of the following month.	June-2018	65,079
5.	Kalinga University	March-2018	By the 15 th of the following month.	May-2018	3,02,020
6.	Kalinga University	April-2018 to June-2018	By the 15 th of the following month.	August-2018	6,09,579
7.	MATS University	February-2018	By the 15 th of	December-2018	1,52,767



		to March-2018	the following month.		
8.	MATS University	April 2018 to-September-2018	By the 15 th of the following month.	January-2019	9,97,340

iii). As per Section 12 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, one per cent of the fees collected from the students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month next to the month in which such fees are received. If Private University fails to deposit fees within stipulated period then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 15% for every 30 days.

NOTE: Basis of fees received by universities from the students during the session as well as according to the courses cannot be relied upon. A certificate in a reliable form is to be invited from the CG Ayog for justification of the income.

iv). An amount of Rs. 10,000 was given on 18.11.2016 to PWD, Raipur for Mini Conference Hall for conducting meeting, however it was cancelled and this amount has not been collected till date.

(g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2019, and
- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C



[MURARI MITTAL]
PARTNER
M.NO. 300784
UDIN: 19300784AAAAAV6178

PLACE: RAIPUR
DATE: 29.08.2019


CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2019

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhattisgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2019	AMOUNT(Rs.) 31.03.2018
SOURCES OF FUNDS:			
CAPITAL FUND:			
Reserve & Surplus	"A"	22,50,33,389	19,72,44,151
T-O-T-A-L :-		22,50,33,389	19,72,44,151
APPLICATION OF FUNDS:			
FIXED ASSETS:	"B"		
Opening W.D.V.		22,44,601	11,71,475
Add: Addition during the year		-	13,64,132
Add: Capital-Work -In- Progress		4,06,88,027	-
Less: Depreciation during the year		3,55,516	2,91,006
Closing W.D.V.		4,25,77,112	22,44,601
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:			
Cash & Bank balances	"C"	90,40,778	2,54,35,327
Investments in fixed deposit receipts	"D"	54,82,87,551	52,74,41,074
Deposits & Advances	"E"	11,27,948	1,53,30,746
		55,84,56,277	56,82,07,147
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:	"F"		
Net Current Assets		37,60,00,000	37,32,07,597
T-O-T-A-L :-		18,24,56,277	19,49,99,550
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"	22,50,33,389	19,72,44,151

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG
For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG

 
(Dr. Anjani Kumar Shukla) (K. K. Chandrakant)
[Chairman] [Secretary]
[MEMBER ADMIN.]

DATE :29.08.2019
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C

[MURARI MITTAL]
PARTNER
M.NO 300784
UDIN:19300784AAAAAV6178




DATE :29.08.2019
PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2019**

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhatishgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.2019	AMOUNT (Rs.) 31.03.2018
I-N-C-O-M-E :			
Interest from FDR		3,43,45,024	2,22,01,499
Interest from Banks		1,41,36,745	20,55,560
Sale of forms & miscellaneous income		2,000	16,500
	TOTAL (A)	4,84,83,769	2,42,73,559
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
Staff salary		96,51,768	62,60,893
Remuneration to Auditor		23,600	23,600
Telephone expenses		54,785	55,123
Rent expenses		4,04,088	3,82,661
Electricity charges		76,340	78,030
Travelling and Conveyance expenses		6,760	4,625
Depreciation & Amortisation		3,55,516	2,91,006
Office expenses		44,074	48,106
Interest on Endowment Fund		91,00,000	1,08,48,784
Bank charges		2,525	2,346
Printing & Stationery expenses		40,894	24,624
Sitting fees		43,000	72,000
Legal & Professional expenses		2,12,020	1,44,480
Medical Reimbursement		4,19,610	78,625
Repairs & Maintenance expenses		56,165	69,550
Advertisement & Publicity		30,388	-
Diesel Expenses		1,72,997	56,173
	TOTAL (B)	2,06,94,531	1,84,40,626
Excess of Income over Expenditure (A - B)		2,77,89,238	58,32,933
Net Surplus Carried to Balance Sheet		2,77,89,238	58,32,933
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG
For CHHATTISGARH NIJI
VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

 
(Dr. Anjani Kumar Shukla) (K. K. Chandiakar)
[Chairman] [MEMBER ADMIN.]

DATE :: 29.08.2019
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C



[MURARI MITTAL]
PARTNER
M.NO 300784
UDIN: 19300784AAAAAV6178

DATE : 29.08.2019
PLACE: RAIPUR

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2019		
PARTICULARS	AS AT 31.03.2019	AS AT 31.03.2018
SCHEDULE - "A"		
RESERVES & SURPLUS:		
Opening Balance	19,72,44,150	19,14,11,218
Add : Surplus/(Deficit)	2,77,89,238	58,32,933
T-O-T-A-L :-	22,50,33,389	19,72,44,151
SCHEDULE - "C"		
CASH AND BANK BALANCE:		
Petty Cash (As certified by Management)	30,000	30,000
Bank Balances :		
(a) Balance with Union Bank of India	7,40,799	9,80,192
(b) Balance With Central Bank Of India	52,69,979	2,33,70,135
(c) Auto Sweep Account with Union Bank of India	30,00,000	10,55,000
T-O-T-A-L :-	90,40,778	2,54,35,327
SCHEDULE - "D"		
INVESTMENTS IN FDR(s):		
(a) Fixed Deposits with Union Bank of India	54,82,87,551	52,74,41,074
T-O-T-A-L :-	54,82,87,551	52,74,41,074
SCHEDULE - "E"		
DEPOSITS & ADVANCES		
(a) TDS Receivable (A.Y 2007-08)	85,617	85,617
(b) Deposit for rent	45,000	45,000
(c) Deposit for telephone	1,402	1,402
(d) Advance for office at Naya Raipur	-	1,42,40,810
(e) Advance payment to PWD for meeting	10,000	10,000
(f) TDS Receivable (2017-2018)	9,47,917	9,47,917
(g) Advance tax paid by Central Bank	38,012	-
T-O-T-A-L :-	11,27,948	1,53,30,746
SCHEDULE - "F"		
CURRENT LIABILITIES & PROVISION		
(a) Endowment fund	37,60,00,000	37,10,00,000
(b) Fees to be deposited in Treasury	(0)	10,19,215
(c) TATA Motors Pvt. Ltd.	-	11,88,382
T-O-T-A-L :-	37,60,00,000	37,32,07,597



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

CHHATTISGARH NIII VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 01-04-18	ADDITIONS		TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2019
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS			
FIXED ASSETS							
Furniture & Fixtures	10%	3,96,681	-	-	3,96,681	39,668	3,57,013
Office Equipments	15%	1,20,121	-	-	1,20,121	18,018	1,02,103
Computers	40%	1,48,198	-	-	1,48,198	59,279	88,919
Printers	40%	6,444	-	-	6,444	2,578	3,866
Air Conditioner	15%	1,59,229	-	-	1,59,229	23,884	1,35,345
Car	15%	14,13,928	-	-	14,13,928	2,12,089	12,01,839
TOTAL		22,44,601	-	-	22,44,601	3,55,516	18,89,085



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

3. DEPRECIATION:

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

4. TAXATION:

Provision for current and deferred taxation to be done as per Income Tax Act 1961

5. CONTINGENT LIABILITIES:

- (i) Contingent liabilities have not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts". The liability of 1,94,80,833/- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis

B. NOTES TO ACCOUNTS:

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Contingent Liabilities:
Estimated amount of Contingent liability remaining to be executed: Nil



- (iii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and therefore does not have taxable income accordingly it has not made any provision of income tax in its books of account.
- (iv) Cash-in-Hand have been taken as certified by the members.
- (v) Parties' balances are subject to confirmations.
- (vi) Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINIYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG

(Dr. Anjani Kumar Shukla) (K. K. Chandrahar)
Chairman Secretary
[CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]

DATE: 29.08.2019

PLACE: RAIPUR

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 0054086



[MURARI MITTAL]

PARTNER

M.NO. 300784

UDIN: 19300784AAAAAV6178

DATE: 29.08.2019

PLACE: RAIPUR

आप विश्वविद्यालय में सभ्य, सुसंस्कृत और
शिक्षित होने आए हैं, असभ्य और अमानवीय
व्यवहार के लिए नहीं



याद रखें,
रेगिंग दण्डनीय
अपराध है -
अपने भविष्य से
न खेलें।

रेगिंग एक अमानवीय व्यवहार

रेगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें-



शैक्षणिक संस्था प्रमुख को
शैक्षणिक संस्था की एन्टी रेगिंग कमेटी को
पुलिस कंट्रोल रुम नम्बर 100

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007

दूरभाष : 00771 - 4902939, 4902940

Email:cgpurc18@gmail.com, Website:www.cgpurc.in